रेन वाटर व ग्रीन बिल्डिंग के मानकों का हो सख्ती से पालन: तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष ने आर्किटेक्ट एवं ड्राफ्टमैन एसोसिएशन, मैप सेल व अधिकारियों के साथ की बैठक

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। गर्मी का प्रकोप एक बार फिर शहर में तेजी से देखने को मिल रहा है। ऐसे में हरियाली, भूजल स्तर में सुधार इत्यादि के मद्देनजर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

इसी क्रम में शनिवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आर्किटेक्ट एवं ड्राफ्टमैन एसोसिएशन, मैप सेल व वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में उपाध्यक्ष द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रायः यह देखने में आता है कि प्राधिकरण द्वारा जो नक्शे पास किये जा रहे हैं, उनमें नक्शे में तो रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान नजर आता है लेकिन मौके पर कई लोगों के द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने आर्किटेक्ट एवं ड्राफ्टमैन एसोसिएशन से अपेक्षा की वे इस दिशा में लोगों को जागरूक करने का काम करें ताकि भूजल के स्तर को गिरने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि लोग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के साथ रिचार्ज पिट अनिवार्य रूप से बनाएं ताकि भूजल में अपेक्षित सुधार आ सके। उपाध्यक्ष ने यह भी अपेक्षा की की जो भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहां पर हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाये और ज्यादा से ज्यादा फलदार एवं छाया वाले पौधे वहां लगाए जाएं।

साथ ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स में स्ट्रीट लाइट व अन्य बिजली उपकरणों के लिए सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए ताकि ऊर्जा संरक्षण का कार्य भी हो सके। उपाध्यक्ष ने कहा कि जिन लोगों द्वारा नवीन भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें भवन में अधिक से अधिक ओपन एरिया छोड़ने एवं इंटर लॉकिंग टाइल्स के उपयोग हेतू प्रोत्साहित किया जाए। इससे भी भू-जल संरक्षण में मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा जहां कहीं भी सड़क व नाली निर्माण किया जा रहा है वहां पर वर्तमान में दोनों साइड पर इसी मंशा के साथ सड़क को किनारे से कच्चा छोड़ा जा रहा है ताकि बरसात के समय में इनके जरिए भूजल रिचार्ज हो सके।

अधिकारियों के साथ बैठक करते प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी।

आर्किटेक्ट से लिये गए सुझाव

बैठक में उपाध्यक्ष द्वारा आर्किटेक्ट एवं ड्राफ्टमैन से सुझाव मांगे गए जिस पर उनके द्वारा लेबर सेस को अत्यधिक बताते हुए इसमें रियायत की मांग की गई। साथ ही नक्शा स्वीकृति के उपरांत लिए जाने वाले विकास शुल्क सहित लेबर सेस व अन्य शुल्क भी एक साथ लिए जाने की मांग की गई जिस पर उपाध्यक्ष ने इस मामले में शासन से वार्ता उपरांत संशोधन किए जाने का भरोसा दिलाया।

नो मैन्स लैंड पर किया जाए पौधरोपण

बैठक में उपाध्यक्ष द्वारा विभिन्न बिल्डर्स, आर्किटेक्ट से यह भी सहयोग की अपेक्षा की गई कि वे नो मेंस लैंड (ऐसी जमीनें जो खाली पड़ी) हैं उन पर पौधरोपण किया जाए। साथ ही आर्किटेक्ट को उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि वे होटल, स्कूल, ग्रुप हाउसिंग आदि में साउथ फेसिंग दीवार को उस्मा रोधी तरह से डिज़ाइन करें। बैठक में सचिव मोहन सिंह बर्निया, जॉइंट सेक्रेटरी गौरव चटवाल, चीफ इंजीनियर एससी राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हिम ज्योति के छात्रों ने हिमालय का दौरा किया

- प्रसिद्ध कंपनी में सीखने का अनुभव पाकर हुए खुश

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। प्रधानाचार्य रूमा मल्होत्रा और दो संकाय सदस्यों के साथ 70 छात्रों के एक समूह ने हिमालय वेलनेस कंपनी का दौरा किया।

उन्हें संग्रहालय, हर्बल गार्डन, प्रयोगशालाएं और विनिर्माण सेवा फ़्लोर एरिया दिखाया गया। वे देहरादून में एक प्रसिद्ध कंपनी में सीखने का अनुभव पाकर खुश थे। डॉ. एस. फारूक ने सुदर्शन अग्रवाल की उदारता और मानवीय मूल्यों के बारे में बताया और कहा कि वे एकमात्र राज्यपाल हैं जिन्हें उत्तराखंड में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए नेक कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक आंखों में आंसू लिए याद किया जाता है और उन्होंने उन्हें हमारे देश के हर घर में औषधीय पौधों की उपयोगिता के बारे में बताया। छात्रों ने जड़ी-बूटियों, हाइड्रोफोनिक्स और व्यवसाय के बारे में भी पूछा। डॉ. फ़ारूक के पोते-पोतियों ने भी बच्चों को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद दोपहर का भोजन हुआ। हिम ज्योति स्कूल की प्रिंसिपल रूमा मल्होत्रा ने एचडब्ल्यूसी इकाई का दौरा करने और छात्रों को औषधीय पौधों के बारे में सलाह देने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।

हिमालय वेलनेस कंपनी में दौरे के दौरान हिम ज्योति स्कूल के छात्र व शिक्षक।

मुर्शिदाबाद जाने के लिए अपने आलाकमान पर दबाव बनाएं हरदा

- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्षी खामोशी पर गंभीर सवाल खड़े किए

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। भाजपा ने बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर विपक्षी खामोशी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरदा पर कटाक्ष भी किया कि सनातनी प्रमाणपत्र के लिए यात्रा का पाखंड करने से बेहतर उन्हें अपने आलाकमान को मुर्शिदाबाद जाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। इससे बड़ी हिप्पोक्रेसी क्या हो सकती है कि सनातन विरोध के सौ चूहे खाकर कोई नास्तिक, अपने आस्तिक होने का दावा करे।

उन्होंने ममता के राज में हिंदुओं के साथ की जा रही निर्ममता को चिंताजनक और लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है। आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में वहां जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है उसे टीएमसी सरकार का पूरा पूरा संरक्षण प्राप्त है। जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर कश्मीर में पलायन के दोषी हैं, वही आज बंगाल में हो रहे पाप को मौन समर्थन दे रहे हैं। जो राहुल गांधी, अल्पसंख्यक समुदाय पर हुई घटना पर संसद सत्र छोड़कर फोटो सेशन करने सड़कों पर उतर जाते हैं, उनके मुंह से बंगाल में हो रहे अन्याय पर सहानुभूति के दो शब्द नहीं निकल रहे हैं। देश विदेश के तमाम मुद्दों पर रोजाना सोशल मीडिया पर बूस्ट करवाने वाली प्रियंका गांधी, मातृ शक्ति पर अत्याचार और पलायन के ज्वलंत सवाल पर मुंह सिले बैठी हैं।

ठगने वाली महिला के खिलाफ किया प्रदर्शन

देहरादून। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के वायदे करके गरीब लोगों से पैसा ठगने का मामला सामने आया है। पूर्व मेयर प्रत्याशी आरूषी सुंदरियाल के नेतृत्व में शनिवार को ब्रह्मपुरी चौक में एक विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें उन्होंने आरोपी महिला की कारगुजारी का सच उजागर किया। आरूषी सुंदरियाल ने बताया कि रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम पर गरीबों से पैसा ठगे और फिर उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का घटनाक्रम सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि महिला ने गरीब महिलाओं, अनुसूचित जाति के हिन्दुओं और मुसलमान महिलाओं को धोखा देकर उनसे पैसा लिया है।

मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में छात्रा परिषद अलंकरण समारोह आयोजित

भास्कर समाचार सेवा

मसूरी। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में छात्रा परिषद का शपथ ग्रहण एवं अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्या शालू बब्बर ने मुख्य अतिथि प्रिया जदु को शॉल पहनाकर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या शालू बब्बर ने शपथ दिलायी। जिसमें नव निर्वाचित स्कूल की हेड गर्ल अदिती अग्रवाल, उप हेड गर्ल सामिया, संतोषी सदन की कप्तान सृष्टी पाठक, उप कप्तान नियती, लक्ष्मी सदन की कप्तान काव्या मिश्रा, उपकप्तान ओज्स्वनि तथा गायत्री सदन की सदन कप्तान गजल अग्रवाल और उप कप्तान प्राप्ति चोपडा मुख्य रही। सदन कप्तान मिलने से विद्यालय के अंतरसदनीय शैक्षिणक वर्ष 2025-26 विद्यालय की पाठय सहगामी क्रियाओं के संचालन के लिए छात्राओं का प्रतिनिधित्व मंडल की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रिया जादु ने कहा कि नेतृत्व क्षमता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक दिशा में मार्गदर्शन करता है ताकि एक साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

8वां इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट हुआ संपन्न

देहरादून। 8वां एकदिवसीय इन्विटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट शनिवार को सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल में संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट की मेजबानी सेलाकुई इंटेरनेशनल स्कूल द्वारा खेल प्रतिभाओं को निखारने तथा खेलभावना के साथ खेल प्रतिस्पर्धा का उत्सव मनाने के लिए की गई। इस टूर्नामेंट में 11 विद्यालयों की भागीदारी रही। जहां देश के युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपने-अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। ओवरआल टीम प्रतिस्पर्धा में जीएसएसएस लुधियाना विजेता रहीं और मेजबान सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल उपविजेता रही, सेकंड रनर अप-मॉडर्न स्कूल बारा खंबा रोड नई दिल्ली रही। हेडमास्टर दिलीप पांडा सेलाकुई स्कूल ने टूर्नामेंट समापन के दौरान पुरस्कृत करते हुए युवा मन को आकार देने और टीम वर्क तथा दृढ़ संकल्प जैसे मूल्यों को स्थापित करने में खेल की भूमिका पर जोर दिया।

एलआईसी म्यूचुअल फंड ने देहरादून में अपनी पहली शाखा का शुभारंभ किया

निवेशकों तक पहुंच और उत्तराखंड में एएमसी की बढ़ेगी उपस्थिति: झा

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। एलआईसी म्यूचुअल फंड (एलआईसी एमएफ) ने देहरादून में अपनी पहली शाखा के शुभारंभ की घोषणा की है। एलआईसी म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रवि कुमार झा ने शनिवार को शाखा का उद्घाटन किया।

देहरादून, उत्तराखंड का आर्थिक रूप से प्रगतिशील शहर है, देहरादून एरिया ऑफिस देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हलद्वानी, अल्मोड़ा, काशीपुर, पिथौरागढ़ और रूद्रपुर जैसे क्षेत्रों को सेवाएं उपलब्ध कराएगा. इन शहरों में काफी अधिक संभावनाएं मौजूद हैं और अनुमानित तौर पर इन शहरों में इंडस्ट्री का एयूएम 17,773 करोड़ रुपये है। इन कुल एयूएम में से इक्विटी एयूएम करीब 16,075 करोड़ रुपये का है। वहीं, शेष करीब 1,698 करोड़ रुपये का एयूएम फिक्स्ड इनकम से आता है। इसके अलावा, देहरादून क्षेत्र में कुल 1,473 सक्रिय म्यूचुअल फंड वितरक (एमएफडी) हैं, जिनका एयूएम 9,238 करोड़ रुपये है। फरवरी 2025 तक देहरादून में एलआईसी एमएफ का कुल एयूएम 72.35 करोड़ रुपये था जिसमें से इक्विटी एयूएम करीब 63.24 करोड़ रुपये था।

नई शाखा के उद्घाटन को लेकर एलआईसी एमएफ के एमडी और सीईओ रवि कुमार झा ने कहा कि अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की हमारी रणनीति के अनुरूप हमने देहरादून में नए ऑफिस का उद्घाटन किया है। इस क्षेत्र में हमारे म्यूचुअल फंड बिजनेस की अच्छी ग्रोथ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। देहरादून में एरिया ऑफिस स्थापित करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र के कॉरपोरेट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिब्यूटर्स के बीच अच्छा संदेश जाएगा। इस कार्यालय के माध्यम से हमारा लक्ष्य विवेकपूर्ण सलाह, एक्सपर्ट फाइनेंशियल गाइडेंस और समग्र वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान करके एक मजबूत निवेश संस्कृति को बढ़ावा देना है।

एलआईसी एमएफ के एमडी और सीईओ रवि कुमार झा।

सर्वसाधारण की सूचना

परिषद की इन्दिरा नगर योजना देहरादून में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या - 155 का आवंटन श्री सुभाष चन्द्र साहनी को प्रदेशन पत्रांक 6042 दिनांक 09.09.1975 द्वारा किया गया था। जिसका पूर्ण भुगतान होने के उपरान्त दिनांक 04.09.1990 को लीजडीड व सेलडीड निष्पादित की गई जो कि विधिवत सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में पंजीकृत है। श्री सुभाष चन्द्र साहनी ने उक्त भवन को श्री अवतार सिंह आनन्द पुत्र श्री प्रताप सिंह एवं श्रीमती त्रिपत कौर पत्नी श्री अवतार सिंह के पक्ष में विक्रय कर पट्टा हस्तान्तरण विक्रय विलेख दिनांक 23.03.1996 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में पंजीकृत किया गया है। तथा कार्यालय आदेश संख्या-1425 दिनांक 14.09.2000 द्वारा क्रेतागणों के पक्ष में नामान्तरण किया गया। तथा दिनांक 26 मार्च 2003 को फ्री होल्ड डीड निष्पादित की गयी जो दिनांक 07.04.2003 को पंजीकृत है। आवंटी श्री अवतार सिंह आनन्द की मृत्यु दिनांक 18.01.2014 को एवं श्रीमती त्रिपत कौर की मृत्यु दिनांक 03.03.2024 को होने के कारण मृतकों के वारिस श्री मन्दीप कौर, श्रीमती अन्नू कौर, श्रीमती जसवीर कौर भसीन, श्री गुलशन जीत आनन्द द्वारा भवन संख्या - 155 को समस्त वारिसो के नाम अन्तरण हेतु उप जिलाधिकारी देहरादून द्वारा दिनांक 20.06.2024 को निर्गत उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, श्री अवतार सिंह आनन्द एवं श्रीमती त्रिपत कौर का मृत्यु प्रमाण पत्र, रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्धकनामा, अन्य कोई वारिस न होने का शपथ पत्र, पहचान पत्र तथा आवेदन पत्र जमा कर दिया है। अतः प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के आधार पर तथा आवंटी श्री अवतार सिंह आनन्द एवं श्रीमती त्रिपत कौर (पति / पत्नी) की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसों के पक्ष में नामान्तरण किया जाना है। उक्त सम्पत्ति के अन्तरण में यदि किसी वारिस / अन्य पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून में प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई अन्य क्लेम / दावा मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार अन्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी।

सहायक सम्पत्ति अधिकारी

सर्वसाधारण को सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की आवास योजना, किच्छा में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–ए–271 क्षेत्रफल–38.56 वर्ग मीटर का आवंटन कार्यालय के पत्र संख्या–113 / प्र.प./ दिनांक–25.01.1996 द्वारा श्री छुन्नू पुत्र श्री अहमद उल्ला के पक्ष में किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–03.05.1997 को प्राप्त किया गया था।
श्री दिलसाद पुत्र स्व. छुन्नू ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया है कि उनके पिता श्री छुन्नू पुत्र श्री अहमददुल्ला की मृत्यु दिनांक–21.03.2004 को हो गयी है, तथा अपने श्री दिलसाद पुत्र स्व. छुन्नू के पक्ष में उक्त भवन का अन्तरण कराना चाहते है।
यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, किच्छा में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–ए–271 का अन्तरण श्री दिलसाद पुत्र स्व. छुन्नू के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भवन का अन्तरण श्री दिलसाद अहमद पुत्र स्व. छुन्नू के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।

(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

सर्वसाधारण को सूचना

परिषद् की आवास योजना, किच्छा में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–ए–342 क्षेत्रफल–180.22 वर्ग मीटर कार्यालय के प्रदेशन पत्र संख्या–55/सं.प्र./ दिनांक 01.05.1997 द्वारा श्री मुलखराज ठुकराल पुत्र श्री आशा नन्द के पक्ष में आंवटित किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–17.09.1997 को स्वयं प्राप्त कर लिया गया था। आबंटी द्वारा आवश्यक विलेखों के निष्पादनोंपरान्त उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–24.01.1998 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय किच्छा में दिनांक–07.02.1998 को पंजीकृत करा लिया था।
श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी श्री अनिल कुमार ने सूचित किया है उनके पिता श्री मुलखराज ठुकराल पुत्र श्री आशा नन्द ठुकराल की मृत्यु दिनांक–14.05.2016 को हो गयी है, तथा श्री मुलखराज ठुकराल पुत्र श्री आशा नन्द ठुकराल द्वारा अपने जीवन काल में एक रजिस्टर्ड वसीयत उप–निबन्धक कार्यालय किच्छा में दिनांक–15.03.2016 को पंजीकृत करायी गयी है। जिस पंजीकृत वसीयत में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी सम्पत्ति पर अधिकार व स्वामित्तव उनकी पुत्री श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी श्री अनिल कुमार का होगा। श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी श्री अनिल कुमार द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या–ए–342 का अन्तरण अपने पक्ष में वसीयत के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है।
यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, किच्छा में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–ए–342 का अन्तरण वसीयत के आधार पर श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी श्री अनिल कुमार के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भूखण्ड का अन्तरण वसीयत के आधार पर श्रीमती चन्द्र कान्ता पत्नी श्री अनिल कुमार के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।

(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

सर्वसाधारण को सूचना

परिषद् की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–66 क्षेत्रफल– 288.00 वर्ग मीटर कार्यालय के पत्र संख्या–150/सं.प्र./ दिनांक 16.04.1980 द्वारा श्री जीवन प्रकाश मिगलानी पुत्र स्व. श्री दलीप चन्द्र मिगलानी के पक्ष में आवंटित किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–01.08.1980 को प्राप्त किया गया था। आबंटी द्वारा आवश्यक विलेखों के निष्पादनोंपरान्त उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–31.07.1985 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय हल्द्वानी में दिनांक–11.09.1985 को पंजीकृत करा लिया था, तथा उक्त भूखण्ड का फ्री–होल्ड विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–24.04.2009 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय किच्छा में दिनांक–06.05.2009 को पंजीकृत करा लिया था।
श्री पंकज कुमार मिगलानी व धीरज मिगलानी पुत्रगण स्व. श्री जीवन प्रकाश मिगलानी ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया है कि उनके पिता श्री जीवन प्रकाश मिगलानी पुत्र स्व. श्री दलीप चन्द्र मिगलानी की मृत्यु दिनांक–02.02.2018 को हो गयी है, तथा अपने श्री पंकज कुमार मिगलानी व धीरज मिगलानी पुत्रगण स्व. श्री जीवन प्रकाश मिगलानी के पक्ष में उक्त भूखण्ड का अन्तरण कराना चाहते है।
यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–66 का अन्तरण श्री पंकज कुमार मिगलानी व धीरज मिगलानी पुत्रगण स्व. श्री जीवन प्रकाश मिगलानी के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भूखण्ड का अन्तरण श्री पंकज कुमार मिगलानी व धीरज मिगलानी पुत्रगण स्व. श्री जीवन प्रकाश मिगलानी के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।

(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

सर्वसाधारण को सूचना

परिषद् की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–393/4 क्षेत्रफल–41.88 वर्ग मीटर कार्यालय के प्रदेशन पत्र संख्या–146/सं.प्र./ दिनांक 01.03.1997 द्वारा श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सोहन लाल के पक्ष में आंवटित किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–17.07.1997 को प्राप्त किया गया था।
श्री चन्दन सचदेवा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया है कि उनके भाई श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सोहन लाल की मृत्यु दिनांक–15.09.1997 को हो गयी है, तथा अपने श्री चन्दन सचदेवा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल के पक्ष में उक्त भवन का अन्तरण कराना चाहते है।
यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–393/4 का अन्तरण श्री चन्दन सचदेवा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भवन का अन्तरण श्री चन्दन सचदेवा पुत्र स्व. श्री सोहन लाल के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।

(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

सर्वसाधारण को सूचना

परिषद् की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या–283 क्षेत्रफल–130.00 वर्ग मीटर कार्यालय के प्रदेशन पत्र संख्या–1072/सं.प्र./ दिनांक 08.06.1987 द्वारा श्री लाल सिंह पुत्र श्री होरी लाल के पक्ष में आंवटित किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–19.06.1987 द्वारा प्राप्त किया गया था। आबंटी द्वारा आवश्यक विलेखों के निष्पादनोंपरान्त उक्त भवन का पट्टा/विक्रय विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–27.09.1993 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय किच्छा में दिनांक–29.09.1998 को पंजीकृत करा लिया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्रीमती कामनी रस्तोगी पत्नी श्री राकेश कुमार रस्तोगी के पक्ष में किया गया था। श्रीमती कामनी रस्तोगी पत्नी श्री राकेश कुमार रस्तोगी के पक्ष में उक्त भवन का नामान्तरण कार्यालय के आदेश संख्या–821 दिनांक–03.08.1996 को किया गया था।
श्री आशीष कुमार रस्तोगी पुत्र श्री राकेश कुमार रस्तोगी ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया है कि उनकी माता श्रीमती कामनी रस्तोगी पत्नी श्री राकेश कुमार रस्तोगी की मृत्यु दिनांक–02.05.2021 को हो गयी है, तथा अपने श्री आशीष कुमार रस्तोगी पुत्र श्री राकेश कुमार रस्तोगी के पक्ष में उक्त भवन का अन्तरण कराना चाहते है।
यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या–283 का अन्तरण श्री आशीष कुमार रस्तोगी पुत्र श्री राकेश कुमार रस्तोगी के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भवन का अन्तरण श्री आशीष कुमार रस्तोगी पुत्र श्री राकेश कुमार रस्तोगी के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।

(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

सर्वसाधारण को सूचना

परिषद की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–बी–264 क्षेत्रफल–115.05 वर्ग मीटर कार्यालय के प्रदेशन पत्र संख्या–1049/ सं.प्र./ दिनांक–02.03.1982 द्वारा श्री मोहन लाल पुत्र श्री रामधुन के पक्ष में आंवटित किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–14.03.1984 द्वारा प्राप्त किया गया था। आबंटी द्वारा आवश्यक विलेखों के निष्पादनोंपरान्त उक्त भवन का पट्टा/विक्रय विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–20.02.1996 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय किच्छा में दिनांक–01.03.1996 को पंजीकृत करा लिया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्रीमती फुला देवी पत्नी श्री देशराज के पक्ष में किया गया था। श्रीमती फुला देवी पत्नी श्री देशराज के पक्ष में उक्त भवन का नामान्तरण कार्यालय के आदेश संख्या–896 दिनांक–27.09.2002 को किया गया था। नामान्तरी श्रीमती फुला देवी पत्नी श्री देशराज की मृत्युपरान्त उक्त भवन का अन्तरण कार्यालय के आदेश संख्या–971 दिनांक–15.10.2010 द्वारा श्री देशराज अरोरा पुत्र श्री नन्दलाल के पक्ष में किया गया था।
श्री रोशन अरोरा पुत्र स्व. देशराज अरोरा ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया है कि उनके पिता श्री देशराज अरोरा पुत्र स्व. श्री नन्दलाल की मृत्यु दिनांक–27.09.2023 को हो गयी है, तथा अपने श्री रोशन अरोरा पुत्र स्व. देशराज अरोरा के पक्ष में उक्त भवन का अन्तरण कराना चाहते है।
यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या–बी–264 का अन्तरण श्री रोशन अरोरा पुत्र स्व. देशराज अरोरा के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भवन का अन्तरण श्री रोशन अरोरा पुत्र स्व. देशराज अरोरा के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।

(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मुख्यालय "उज्ज्वल" महारानी बाग, जी० एम० एस० रोड, देहरादून–248006
दूरभाष: 0135-2763808, फैक्स : 0135-2763508
सी0आई0एन0 सं0: U40101UR2001SGC025866, वेबसाइट: www.ujvnl.com

पत्र सं0: 277 दिनांक: 19/04/2025

निविदा समय विस्तार सूचना–1

अपरिहार्य कारणों से कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (गलोगी काम्पलैक्स), यूजेवीएन लि0, गंगा भवन, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा आमंत्रित निविदा सं0: 01/अ0अ0(ग0का0)/2025–26 ह